तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
22/12/22	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी दीगज कार्यों मे व्यस्त है, मिसल इल्तवा होकर पत्रावली पुर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 12/01/23 को पेश हो।	
12/01/23	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट वकील उप० अपीलांट वकील ने बहस सुनने हेतु निवेदन किया। अपीलांट वकील की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। निर्णय अलग से लिखवा जाकर दाखिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संध्या के बाद हो।	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा जिला बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी :– श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर :– 06/2016

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

अपीलान्ट	बनाम	उतरदातागण
1. खीमी पुत्री मनजीराम पत्नि चेहनाराम 2. जमीयत पुत्री मनजीराम पत्नि धर्माराम 3. सतु उर्फ सतकी पुत्री मनजी 4. कान्ता पुत्री मनजीराम पत्नि पाराराम 5. इन्द्रा पुत्री मनजीराम पत्नि जीवाराम जाति भील निवासी बाधा‡ तहसील सेड़वा, जिला बाड़मेर।		1. सरपंच, ग्राम पंचायत गंगासरा, तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर 2. प्रेमी पत्नि मनजीराम 3. निम्बाराम पुत्र भेराराम 4. रूगाराम पुत्र भैराराम 5. केवाराम पुत्र भैराराम 6. नेताराम पुत्र भगाराम 7. करसन पुत्र वीसाराम 8. शिवजीराम पुत्र वीसाराम 9. रामचन्द्र पुत्र किरताराम 10.लाखाराम पुत्र किरताराम 11. सोमाराम पुत्र किरताराम 12. हलू पत्नि किरताराम 13. चुनाराम पुत्र भुदराराम 14. कानू पत्नि भूदराराम जाति भील, निवासी बाधा,गंगासरा तहसील सेड़वा, 15. प्रबधन्धक, एसीबीबीजे शाखा धोरीमन्ना

उपस्थित : अपीलान्ट वकील : श्री मोहनसिंह सोढा

–: आदेश :–

दिनांक . 12/01/2023

अपीलकर्त्ता की अपील का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट संख्या 2 से 14 के संयुक्त खातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम बांधनिया पटवार क्षेत्र गंगासरा तहसील सेड़वा में खेत खसरा संख्या 771/404 कुल रकबा 20.08 बीघा, खसरा संख्या 775/405 रकबा 0.06 बीघा कुल रकबा 20.14 बीघा की भूमि आई हुई है जिसमें अपीलान्टगण के पिता व उतरदाता संख्या 2 के पति मनजी पुत्र भगा का 1/6 हिस्सा खातेदारी का था। अपीलान्ट के पिता मनजी का स्वर्गवास हो गया था। मनजी के फौत होने पर उनकी फौतगी का नामान्तकरण संख्या 436 दिनांक 20.08.2015 को स्वीकृत कर भरा गया था जो उतरदातागण संख्या 2 ने उतरदाता संख्या 1 से मिलकर मृतक मनजी के वारिश मात्र उतरदाता संख्या 2 को बताकर नामान्तरकरण उतरदाता संख्या 2 अकेली के नाम से पारित करवा लिया जबकि हल्का पटवारी ने नामान्तरकरण की कार्यवाही खोलते समय अपीलान्ट का नाम भी साथ अंकित करना था परन्तु नहीं किया क्योंकि मृतक मनजी अपीलान्ट के पिता थे तथा अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 2 को इस म्यूटेशन में मनजी के विधिक उतराधिकारी होने के बावजूद भी उनका नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित नहीं किया गया। अपीलान्टगण को इस म्यूटेशन के संबंध में कोई सूचना नहीं दी गई जो स्व. मनजी की जांयदा पुत्रीयां हैं। उक्त नामान्तरकरण के बारे में अपीलान्ट ग्रामीण महिलाऐं होने से उस समय जानकारी नहीं हो सकी। उक्त नामान्तरकरण संख्या [illegible] का ज्ञान अपीलान्ट को सर्वप्रथम अरसा करीबन एक माह पूर्व अपीलान्ट ने अपने हिस्से की भूमि पर ऋण लेने हेतू हल्का पटवारी से वर्तमान जमाबंदी की प्रति प्राप्त की तो अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकर्ड में न होने की जानकारी हुई जिस पर अपीलान्ट ने उक्त म्युटशेन की नकलें मांगी जो नकलें दिनांक 28.05.2016 को प्राप्त होने पर अपीलान्ट को उक्त विधि विरूद्व तरीके से पारित

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

नामान्तरकरण का वास्तविक रूप से सर्वप्रथम ज्ञान हुआ। उतरदाता संख्या 1 ने नामान्तरकरण संख्या 436 स्व. मनजी के फौत होने पर गलत रूप से उतरदाता संख्या 2 के नाम पारित करने में कानूनी रूप से भूल की है जो म्यूटेशन आदेश निरस्त करने के काबिल है। मौजा बांधणिया के खेत खसरा संख्या 771/404,775/405 कुल रकबा 20.14 बीघा भूमि में अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 2 मनजी के खातेदारी की है जिसमें मनजी का 1/6 हिस्सा खातेदारी का जिससे वादग्रस्त भूमि में मनजी के 1/6 हिस्से में प्रत्येक अपीलान्ट का 1/6 हिस्सा अर्थात सम्पूर्ण रकबे का 1/36 हिस्सा खातेदारी का है तथा स्व मनजी की मृत्यु के बाद अपीलाण्टगण का स्व. मनजी की पैतृक भूमि में 1/36 हिस्सा भूमि पर लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है परन्तु ग्राम पंचायत ने मौके की जांच किये बिना ही बेबुनियाद व मनगढत तथ्यों के आधार पर उतरदाता संख्या 1 ने म्यूटेशन पारित कर दिया जो निरस्त करने के काबिल है। उतरदाता संख्या 1 ने अपीलान्ट के पिता मनजी के फौत होने पर उक्त म्यूटेशन पारित करने से पूर्व न तो मनजी के वारिसों की कोई जांच की और न ही अपीलान्ट को कोई नोटिस ही दिया और न ही वादग्रस्त खसरे की भूमि का मौके का निरीक्षण ही किया और न ही अपीलान्टगण को कोई सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया। इस प्रकार प्राकृतिक सिद्वान्तों की अवहेलना कर उतरदाता संख्या 1 द्वारा एकतरफा रूप से उतरदाता संख्या 2 के नाम म्यूटेशन पारित किया है जो प्रारम्भ से शुन्य होने से निरस्त करने के काबिज है। उक्त म्यूटेशन एकतरफा कार्यवाही करके पारित किया गया होने से एवं बिना कानूनी प्रकिया अपनाये पारित किया गया होने से और अपीलान्ट ग्रामीण महिलाऐं होने की वजह से इतने समय तक उसे वक्त म्यूटेशन का कोई ज्ञन नहीं हुआ और नहीं म्यूटेशन पर अपीलान्ट का अगुष्ठ निशान किया गया और न ही उतरदाता संख्या 1 की कार्यवाही में अपीलान्ट के नाम नोटिस जारी करना दर्शाया गया है। अपीलान्ट के पिता के खातेदारी की अन्य भूमि मौजा झड़पा खसरा संख्या 213/323 रकबा 40.00 बीघा आया हुआ था जिसमें मनजी फौत होने पर अपीलान्टगण व उतरदाता संख्या 2 के नाम संयुक्त रूप से मनजी की फौतगी का म्यूटेशन पारित किया गया है परन्तु वादग्रस्त भूमि में उतरदाता संख्या 1 के अकेली के नाम से म्यूटेशन पारित किया गया है। अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर उतरदाता संख्या 1 द्वारा पारित म्यूटेशन संख्या 436 दिनांक 20.08.2015 को निरस्त किया जावें तथा अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 2 को स्व. मनजी की पैतृक भूमि राजस्व ग्राम बाधा पटवार क्षेत्र गंगासरा तहसील सेड़वा के खेत खसरा संख्या 771/404 व 775/405 कुल रकबा 20.14 बीघा में मनजी पुत्र भगा के स्थान पर अपीलान्टगण व उतरदाता संख्या 2 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज करने एवं इसी अनुसार नया नामान्तरकरण अपीलान्ट व उतरदाता संख्या 2 के नाम पारित किया जाने का आदेश फरमावे।

अपीलान्ट की अपील दर्ज कर उतरदातागण को सम्मन तलब किये गये। उतरदातागण के समन्न तामिलशुदा प्राप्त होने के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

अपीलांट वकील उपस्थित। अपीलांट वकील ने उक्त अपील पर बहस सुनने का निवेदन किया। अपीलांट वकील की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गय अतः अपीलान्ट की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कि जाती है तथा तहसीलदार सेड़वा को आदेश दिया जाता है

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

कि पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों को गहराई से परीक्षण करने के पश्चात् न्यायालय का मत है कि प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सेड़वा को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विवादित नामान्तरणों को नये सिरे से हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित करते हुए विधिक वारिशानों का विधिक विश्लेषण करते हुए नामान्तरण नियमानुसार किया जाए।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिले दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 12/01/2023 को खुले न्यायालय में सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा

(रामजी भाई [illegible])
उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा
उपखण्ड अधिकारी
सेड़वा बाड़मेर